

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक:-

सं0सं0-ह0क0 (13) योजना (विद्युत अनुदान)-03/2017

प्रेषक:

पटना, दिनांक-

/2018

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

अनौपचारिक
रूप
से परामर्शित

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में गया जिला के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रू० प्रति यूनिट बकाया विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 1056.00 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं०-3897 दि०-11.09.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने गया-जिला के विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर ₹ 3.00 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 1056.00 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. गया जिला में लगभग 6473 विद्युतकरघा कार्यरत है। यह योजना दिनांक-01.10.2006 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में सामान रूप से लागू है। जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर दिनांक-01.02.2014 से विद्युत अनुदान ₹ 1.50 (एक रुपये पचास पैसे) प्रति यूनिट के दर से बढ़ाकर ₹ 3.00 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है तथा विद्युत विपत्र में ही ₹ 3.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दिया जाएगा। **Fixed charge** में कोई अनुदान नहीं दी जायेगी। अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति विद्युतकरघा बुनकरों को करने के बजाय, अनुदान राशि सीधे बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। पावर वितरण कम्पनी द्वारा वैसे विद्युतकरघा बुनकरों को, जो विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत करते हैं, उन्हें ₹ 3.00 प्रति यूनिट अनुदानित दर पर विपत्र देंगे। बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना द्वारा, इस प्रकार छूट दी गई राशि का समायोजन उद्योग विभाग द्वारा इस मद में प्रदत्त अग्रिम राशि से की जायेगी। जिन विद्युतकरघा बुनकरों से विपत्र की राशि की वसूली पावर वितरण कंपनी/उनके द्वारा अधिकृत फ्रेन्चआईजी द्वारा की जायेगी उन मामलों में ही छूट की राशि का समायोजन किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108, विद्युतकरघा उद्योग, 23-उद्योग विभाग, उप शीर्ष 0101 विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड-23.2851.00.108.0101 राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष-0101.33.01, सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में ₹ 1056.00 लाख (दस करोड़ छप्पन लाख) मात्र सब्सिडी तृतीय अनुपूरक आगणन के बजट उपबंध से विकलित होगा।

4. इस योजना में "स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी **BTC-25** पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर एक मुश्त कर बिहार स्टेट पावर होलिडिंग कं०लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं०-10839114909 एवं आई०एफ०एस०सी० कोड-**SBIN-0000153** में भुगतान किया जायेगा"। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.10 एवं 500 दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। वे इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या-ह0क0 (13) योजना (विद्युतअनुदान)-03/17 के पृष्ठ-20/टि0 पर दिनांक-13.03.2018 को प्राप्त है।
7. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- ह0क0 (13) योजना (विद्युतअनुदान)-03/17 के पृष्ठ-22/टि0 पर दिनांक-16.03.2018 को प्राप्त है।
8. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।
9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि0(2) दि0-18.09.2008 में निहित पत्रांक-2561 वि(2) दि0-17.04.1998 के कडिका-2, पत्रांक-2938 वि (2) दि0-08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि-प्रमण्डलीय आयुक्त, गया जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 16-3-18

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कं0लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/उप सचिव, उर्जा विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/अपर उद्योग निदेशक(तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) (स0)/योजना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आइ0टी0 योजना
उद्योग विभाग

(11)